



सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.11.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री महबूब आलम,
स0वि0स0
श्री सत्यदेव राम,
स0वि0स0
श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
स0वि0स0
श्री भूदेव चौधरी,
स0वि0स0
श्री संजय कुमार गुप्ता,
स0वि0स0
श्री अरूण सिंह,
स0वि0स0

“भारत का संविधान फेरीवालों तथा आम व्यक्ति को फुटपाथों पर व्यापार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(6) के अधीन आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को फुटपाथ पर व्यवसाय करने से कोई रोक नहीं सकता। उसे इस अधिकार से यह कहकर बंचित नहीं किया जा सकता कि फुटपाथ केवल आवागमन के लिए काम में लाया जा सकता है।

नगर विकास एवं आवास

केन्द्र तथा बिहार सरकार ने स्ट्रीट भेण्डर (प्रोटेक्शन ऑफ लाईवलीहुड एण्ड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट भेण्डिंग), 2014 तथा बिहार फुटपाथ विक्रेता अधिनियम बनाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना अन्तर्गत उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके बावजूद बिहार की राजधानी पटना तथा प्रदेश के अन्य नगरों एवं नगर पंचायतों के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़कर उनके लाखों का सामान लूटने तथा संसाधनों को बलडोजर से चकनाचूर कर देने का अभियान चला रखा है।

अतः फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के अभियान पर रोक लगाने तथा उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नगर निकाय के कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

2. श्री राकेश कुमार रौशन,
संवि०स०
श्री कुमार कृष्ण मोहन
उर्फ सुदय यादव,
संवि०स०
श्री राम विशुन सिंह,
संवि०स०
श्री राहुल तिवारी,
संवि०स०
श्री राज कुमार सिंह,
संवि०स०
श्री कृष्णामुरारी शरण
उर्फ प्रेम मुखिया,
संवि०स०
श्री प्रकाश वीर,
संवि०स०

“बिहार में करीब एक वर्ष पूर्व शहरी निकायों के नगर विकास अंतर्गत मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का जनता के एवं आवास द्वारा सीधा निर्वाचन हुआ है, लेकिन उप मेयर और उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार नहीं मिला है। नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार पूर्व में सीधे जनता से वार्ड पार्षद निर्वाचित होते थे और निर्वाची प्रतिनिधि ही नगर निकायों में संवैधानिक पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, लेकिन सीधा चुनाव होने के कारण नगर निकायों में सभी मतदाताओं के विकास की जिम्मेवारी इन लोगों का भी है लेकिन अधिकार नहीं रहने के कारण ये जनता के नजर में नाकारा साबित हो रहे हैं।

अतः नयी परिस्थिति में उप मेयर और उप मुख्य पार्षद को भी अधिकार दिया जाय जिससे कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सके, इस ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राज कुमार
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।
नवम्बर, 2023 ई०।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023-

4019

/ वि०स०, पटना, दिनांक-

7

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023-

4019

/ वि०स०, पटना, दिनांक-

7

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023-


4019

/ वि०स०, पटना, दिनांक-

7

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023-


4019

/ वि०स०, पटना, दिनांक-

7

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।